अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2019

(आयकर)

का.आ. 4002(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 120 की उप-धारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, एतद्वारा संख्या का.आ. 2816(अ) दिनांक 03 नवम्बर, 2014 द्वारा (इसके बाद उक्त अधिसूचना के रूप में संदर्भित) सरकारी राजपत्र में प्रकाशित वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करता है, नामत:-

1. उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में ''जम्मू एवं कश्मीर'' शब्दों को, जहां कहीं भी वे आते हों, ''जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य-क्षेत्र'' तथा ''लद्दाख संघ राज्य-क्षेत्र'' शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. इस अधिसूचना को 31 अक्तूबर, 2019 से प्रभावी होना माना जाएगा।

[अधिसूचना सं. 92/2019 फा. सं.187/9/2019-आईटीए-I]

प्रज्ञा पारमिता, निदेशक

व्याख्यात्मक ज्ञापन : यह एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव देने से कोई व्यक्ति प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं हो रहा है।

टिप्पणी : प्रधान अधिसूचना को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप खंड (ii) में संख्या का.आ. 2816(अ) दिनांक 03 नवम्बर, 2014 द्वारा प्रकाशित किया गया था।